

01.07.2022

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के खेत पहले एकल खातेदारी में रहे हैं और वादगत खेत प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पैतृक खातेदारी के खेत हैं जो बाद विभाजन अलग-अलग रूप से खातेदारी अंकित है। उक्त दोनो खेतों में चल रहे गैरमुमकिन रास्ता का उपयोग करने का अधिकार प्रार्थी को होने से प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अप्रार्थीगण गलत रूप से वादगत गैरमुमकिन रास्ता को बंद करने की धमकिया दे रहे हैं, अगर अप्रार्थीगण उक्त रास्ता को बंद करने में सफल हो गये तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा, इस प्रकार अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष में है एवं तादावा फैसला मौका यथार्थिति बनाये रखे जाने का निवेदन किया गया।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में कोई जवाब पेश नहीं किया है एवं केवल मात्र बहस करते हुए प्रार्थी अधिवक्ता की बहस का खंडन करते हुए निवेदन किया गया कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को उक्त गैरमुमकिन रास्ते को बंद करने हेतु कभी भी धमकिया नहीं दी है ओर ना ही रास्ता बंद किया गया है। प्रार्थी केवल मात्र अप्रार्थीगण को तंग व परेशान किये जाने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।


हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के खेत पहले एकल खातेदारी में रहे हैं और वादगत खेत प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पैतृक खातेदारी के खेत हैं जो बाद विभाजन अलग-अलग रूप से खातेदारी अंकित है। उक्त दोनो खेतों में चल रहे गैरमुमकिन रास्ता का उपयोग करने का अधिकार प्रार्थी को होने से प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अप्रार्थीगण द्वारा यदि वादगत गैरमुमकिन रास्ता को बंद करने से प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा, इस प्रकार अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए स्वीकार किया जाता है।


आदेश

खेत खसरा नंबर 812/12 वाकेरोही पुन्दलसर में अप्रार्थीगण प्रार्थी के प्रवेश के रास्ता को किसी भी प्रकार से बंद नही करे, ना ही रास्ता में किसी प्रकार का कोई अवरोध या व्यवधान पैदा करे, ना ही प्रार्थी के उक्त रास्ता से पैदल व ट्रेक्टर -ट्राली, ऊंट-गाडा आदि वाहनो से आने-जाने से रोके, अप्रार्थीगण ऐसा कोई कार्य नही करे जिससे प्रार्थी को अपने खातेदारी भूमि के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो। अतः अप्रार्थीगण तादावा फैसला प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 812/12 में प्रवेश का रास्ता बंद ना करें एवं मौका यथार्थिति बनाये रखे।

आदेश आज दिनांक 01.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सुनाय गया।




(दिव्या)
उच्च न्यायालय अधिकारी
श्री इंद्रप्रसाद (बीकानेर)
श्री इंद्रप्रसाद